बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 187412 पटना, दिनांक 05/06/14

ग्रा0वि0-08/लोकपाल-06/2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **लोकपाल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में ।**

महाशय,

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लोकपाल की व्यवस्था स्थापित की गयी है । लोकपाल की व्यवस्था के संबंध में अधिनियम एवं मार्गदर्शिका में निम्नवत प्रावधान है :-

"Technical and administrative suppart will be provided by the DRDA or any ather bady specified by the State Government in this behalf. All necessary support ta enable the Ombudsman ta carry out the assigned functions, including support staff, affice equipments, camplaint box, and telephane helpline etc. shall be provided to the Ombudsman by the district autharity specified by the State Gavernment. The State Gavernment shall pravide necessary legal support ta cases in Caurts relating ta actions taken in official capacity by the Ombudsman."

<u>The Ombudsman shall have power to</u> :-

(i) "Receive complaints fram MGNREGA warkers and athers an any matters specified in clause 9 either at affice or in the field during a field inspectian.

(ii) Consider such camplaints and pass awards within 30 days fram the date af receipt af camplaint. Far this purpose, he may require the MGNREGA Autharity camplained against ta pravide any infarmatian or furnish certified copies of any document relating to the subject matter af the camplaint which is ar is alleged to be in his passessian; provided that in the event af failure af such autharity ta camply with the requisitian without any sufficient cause, the Ombudsman may, if he deems fit, draw the inference that the infarmatian, pravided of capies if furnished, wauld be unfavaurable ta the concerned MGNREGA Autharity."

7.6.14

5/6/14

2. राज्य में नियुक्त लोकपालों के द्वारा मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3. प्राप्त हो रहे प्रतिवेदनों की प्रारंभिक समीक्षा से यह ज्ञात हो रहा है कि मनरेगा के कार्यान्वयन से संबद्ध तंत्र द्वारा लोकपालों को अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में वांछित सहयोग नहीं दिया जा रहा है । अनेकों ऐसे दृष्टांत प्रतिवेदित हुए हैं जिसमें कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है । कई मामलों में अभियंतागण द्वारा तकनीकी जॉच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है । अनेकों मामलों में पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ।

4. उक्त सभी श्रेणी के असहयोगात्मक कार्य, मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास में बाधक है ।

5. सभी मनरेगा के कार्यान्वयन से संबद्ध कर्मियों को यह स्पष्ट किया जाय कि वे लोकपालों को अपने दायित्वों के निर्वहन में समुचित सहयोग करें । असहयोग के किसी भी दृष्टांत को कड़ी दृष्टि से देखते हुए अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

6. **<u>लोकपालों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई</u>** :-

(i) लोकपाल के प्रतिवेदनों का आपके स्तर पर अध्ययन किया जाय और उनमें की गयी अनुशंसाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । अनेकों मामलों में प्रशासनिक असहयोग के दृष्टांत प्रतिवेदित हैं, उनमें संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछकर यथोचित कार्रवाई की जाय ।

(ii) अनेकों मामलों में वित्तीय अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है, उन मामलों में विहित प्रक्रिया का पालन करके राशि की वसूली / कानूनी कार्रवाई की जाय ।

(iii) कई मामलों में सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दिए गए हैं, उनमें तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

(iv) जहॉ चुने हुए जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध अनियमितता के दृष्टांत प्रतिवेदित किए गए हैं, उन्हें कारण पृच्छा जारी करके सुनने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाय ।

4.6.14

4/6/14

(v) लोकपालों की संस्था को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सहयोग देना सुनिश्चित किया जाय ताकि स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निष्पादन हो सके ।

11. यह उद्धृत करना आवश्यक है कि जिन जिलों में लोकपाल के प्रतिवेदन पर समुचित कार्रवाई नहीं होगी, उसे खुलापन एवं पारदर्शिता में बाधक मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

विश्वासभाजन

4.6.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 187412 पटना, दिनांक 05/06/14

प्रतिलिपि :- श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सभी लोकपाल के प्रतिवेदनों को अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अंदर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।

2. ऐसी व्यवस्था की जाय कि भविष्य में लोकपाल अपने प्रतिवेदनों को सीधे वेबसाईट पर अपलोड कर सकें ।
3. लोकपाल कोषांग एवं लोकपालों से प्राप्त प्रतिवेदनों का अध्ययन करके, किन-किन के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है, उसको सूचीबद्ध करें ।
4. लोकपालों के प्रतिवेदनों पर अलग-अलग संचिका खोलकर जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन की मॉग की जाय ।
5. लोकपालों के प्रतिवेदनों को समेकित किया जाय ।

4.6.14

प्रधान सचिव

4/6/14